भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3235

16 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

ओडिशा हेतु लम्बित राजसहायता

3235. श्री महेश साहू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की राजसहायता की 6039 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लम्बित राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा क्योंकि इसके विलम्ब के कारण राज्य की एजेन्सियों की खरीद प्रभावित हो सकती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): ओडिशा जैसे विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्यों को अनंतिम/अग्रिम खाद्य सब्सिडी की अनुमेय राशि उनके तिमाही-वार दावों के आधार पर जारी की जाती है।

खाद्य सब्सिडी जारी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त दावों पर कार्रवाई अन्य बातों के साथ-साथ खाद्यान्नों के अथशेष एवं इतिशेष स्टॉक, खरीद, आवंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम से मिलान, उपयोग प्रमाण पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। ओडिशा सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उनके दावों के प्रति 8985.73 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गई है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3235 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

ओडिशा सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई अनंतिम/अग्रिम खाद्य सब्सिडी का विवरण

तारीख	राशि (करोड़ रुपए में)
27.04.2020	928.74
30.04.2020	2663.05
27.07.2020	1238.03
24.08.2020	870.74
08.03.2021	3285.17
योग	**8985.73**

खाद्य सब्सिडी से संबंधित अनंतिम/अग्रिम दावों, जिनकी विभाग में जांच की जा रही है, का विवरण

क्रम सं.	**ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों का विवरण**	**स्थिति**
1.	वित्तीय वर्ष 2018-29 हेतु 258.41 करोड़ रुपए का चौथी तिमाही का अनंतिम दावा	राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है।
2.	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 1552.39 करोड़ रुपए का पहली तिमाही का अग्रिम दावा दिनांक 09.03.2021	

*****